संख्या- 3/2022/306/84-3-2022

प्रेषक,

अतुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-3 लखनऊःदिनांक 27 जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत आगामी आठ माह (अगस्त 2022 से मार्च, 2023 तक) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119/स्था0एस0/बत्तीस-2022 दिनांक 08.07.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय में वर्ष 1988 के पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 2075- विविध सामान्य सेवायें-800- अन्य व्यय-03- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 57.75 लाख (रूपये सत्तावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष, शासनादेश संख्या-1/2022/ए084-20222023-001-97-2022, दिनांक 18.04.2022, जिसके द्वारा माह अप्रैल,2022 से जुलाई,2022 तक के व्यय हेतु कुल रू0 27.92 लाख (रू0 सत्ताईस लाख बानबे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखी गयी है, के अनुक्रम में अवशेष/आगामी माह हेतु रू0 29.83 लाख (रू0 उनतीस लाख तिरासी हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/2021/ बी-1- 829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2021 एवं पत्र संख्या-5/2022/ बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29-03-2022 व संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-06-2022 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा, ताकि राज्य स्तर पर कैशफलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(4) आय-व्ययक में प्राविधानित राशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये अधिशासी निदेशक/वित्त आधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(6) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(7) जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) उक्त अनुदान से सम्बंधित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय- 03-उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का अनुदान- 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेंगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-06-2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2022/306(1)/84-3-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वित्त नियत्रंक खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्टे[a]ट, लखनऊ।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 /खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।